

डिक्री व मुकदमे ईसादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
घोठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 430/2019

हरमौतकौर पत्नी बूटासिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़। वादीया

बनाम

बूटासिह पुत्र गुरनामसिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री करनैल सिह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी बूटासिह के नाम से चकनं 5 टीएल डबल्यू के खाता सं 290/61 में कुल 4.187 है 0 मे से 1139/4187 है 0 भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चकनं 5 टीएल डबल्यू के खाता सं 290/61 में प्रतिवादी बूटासिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुव्लिक.....निल.....वावत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/12/19 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी